न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या–173 सन 2026

सोनम बनाम दिलीप आदि।
अं.धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक–01.09.2026

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थीया एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ग्राम गुडगजपुर उर्फ गंगदासपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की रहने वाली एक सीधी–सादी महिला है। प्रार्थीया की शादी दिलीप कुमार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम साखन कलां थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। प्रार्थीया के तीन बच्चे वर्तिका, वंश व मोक्ष हुये। शादी के बाद से ही मुलजिमान दिलीप कुमार पुत्र सुखबीर, सुखबीर पुत्र नकली, नरेशो पत्नी सुखबीर, रीता पुत्री सुखबीर, दीपक पुत्र सुखबीर व छोटा पुत्र चन्दन प्रत्येक निवासीगण ग्राम साखन कलां थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, प्रार्थीया को कम दहेज का ताना देकर आये दिन मारपीट करते रहते थे तथा दहेज में एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करते थे तथा प्रार्थीया को कई दिन तक भूखा प्यासा रखते थे। सुखबीर, प्रार्थीया पर गलत नजर रखे हुये था और मौका पाकर प्रार्थीया के साथ अश्लील हरकते करता था। प्रार्थीया जब इस सम्बन्ध में अपने पति से कहती तो मुलजिम दिलीप कहता कि यदि यहां रहना है तो यह सब कार्य करना होगा। इसी बात से तंग आकर प्रार्थीया अपनी ससुराल छोडकर अपने घर रहने लगी। घटना दिनांक 10.07.2026 समय करीब दिन के 11:00 बजे की है, सभी मुलजिमान एक राय होकर प्रार्थीया के घर ग्राम गुडगजपुर उर्फ गंगदासपुर आये और कहने लगे कि चल अब हमारे साथ चल अब बहुत दिन हो गये है। प्रार्थीया ने जब उनके साथ जाने से इंकार किया तो दिलीप ने प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चो के साथ घर के अन्दर ही मारपीट करना शुरू कर दिया और प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चो को जान से मारने की नियत से गला दबाया। शोर शराबे पर दल सिंह पुत्र गया, सतीश पुत्र शीशपाल व अनिकेत पुत्र सुदेश आदि गांव के बहुत लोग इक्टठा हो गये जिन्होने कुल वाका देखा और मुलजिमान से प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चो की जान बचाई। जाते समय मुलजिमान, प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चो को जान से मारने की धमकी देते हुये कहकर गये कि तुने अपने गांव में हमारी बेईज़्ज़ती करायी है तुझे इसका मजा चखायेगें। प्रार्थीया ने उक्त घटना की बाबत थाना देवबन्द पर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतू प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्यवाही नही की, पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर इसके बाद प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के यहां बजरिये रजिस्ट्री डाक भेजा जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः यह वाद योजित किया।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, एक किता प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय डाक रसीद, एक किता आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सम्बन्धित थाने की आख्या व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर दहेज की माँग को लेकर प्रार्थिया के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है तथा मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी विवेचना थाने से कराया जाना आवश्यक हो।

निर्णय विधि 2008(1) जे.क्री.सी. पेज 169 सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू.पी. में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट अभियोग पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं है और मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर कार्यवाही अग्रसारित कर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया घटना का विवरण जिस प्रकार से दिया गया है कि उससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी घटना व विपक्षी के संबंध में पूर्ण जानकारी रखती है जिसे वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर पूर्णतः स्पष्ट कर सकती है। प्रकरण में पुलिस विवेचना से किसी नये तथ्य के आने की संभावना नहीं है। मामले में न्यायालय द्वारा जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मामले में परिवाद की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थीया उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाये। परिवादी ही प्रकरण का परिवादी होगी। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानुसार विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। प्रार्थीया आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति विपक्षी/बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. हेतु दिनांक 19.09.2026 को पेश हो।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698